क्रम-संख्या–325

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–डब्लू० / एन०पी०–91 / 2008–10

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 04 सितम्बर, 2009

भाद्रपद 13, 1931 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कर एवं निबन्धन अनुभाग–6

संख्या 1672 / 11-क०नि०-6–2009(एम०(92)-2009

लखनऊ, 04 सितम्बर, 2009

अधिसूचना

प०आ०–613

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1979) की धारा 3 की उपधारा (1), धारा 4 की उपधारा (1), धारा 4-क की उपधारा (1) और धारा 4-ख की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या 30-ई०वी०-9(17) / 81-वित्त (मनोरंजन कर) अनुभाग, दिनांक 12 अप्रैल, 1989 संख्या 1022 / 10-एम०के०-89-30-ई०बी०-9(17)-81-वित्त (मनोरंजन कर) अनुभाग, दिनांक 27 अप्रैल, 1989, संख्या 2201 / दस-म०क०-90-तीस इ०बी०9(17)-81टी०सी० दिनांक 8 अगस्त, 1990, संख्या 3400 / 11-म०क०-94-बीस०आर(6) / 93, 15 अक्टूबर, 1994, संख्या 2491 / 11-क०नि०-6-2000-बीस०आर०(1) / 2000, 12 दिसम्बर, 2000, संख्या 2388 / 11-क०नि०-6-2002-बीस०आर०(1) / 2000, 15 नवम्बर, 2002, संख्या 710 / 11-क०नि०-6-2003-तीस०एम०(116) / 2000-टी०सी० दिनांक 26 मार्च, 2003 और संख्या 18 / 11क०नि०-6-2004-20-एम(121)-2003 दिनांक 14 जनवरी, 2004 का अधिक्रमण करके राज्यपाल आदेश देते है कि आमोद कर का उदग्रहण और भुगतान तात्कालिक प्रभाव से नीचे, अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर किया जाएगा, अर्थात :–

अनुसूची

आमोद कर की दरें

क्रम सं०	आमोद के वर्ग	आमोद कर की दरें
1	किसी अन्तर्वर्ती सिनेमा से भिन्न किसी सिनेमा में चलचित्र प्रदर्शन	प्रत्येक समग्र भुगतान में से:- (क) 10.00 रु० तक- ऐसे भुगतान का 30 प्रतिशत (ख) 10.00 रु० से अधिक किन्तु 30.00 रु० से अनधिक- ऐसे भुगतान का 35 प्रतिशत (ग) 30.00 रु० से अधिक- ऐसे भुगतान का 40 प्रतिशत
2	हाऊजी	खेल में प्रारम्भिक प्रवेश हेतु प्रत्येक समग्र भुगतान में से और खेलने के लिए या खेलना जारी रखने के लिए प्रत्येक समग्र भुगतान में से 60 प्रतिशत (चाहे ऐसा भुगतान कार्डों या पुस्तिकाओं या अन्यथा के रूप में वर्णित हो)
3	वायुयान द्वारा मनोरंजन के लिए उड़ान	प्रत्येक समग्र भुगतान में से 40 प्रतिशत
4	घुड़दौड़	प्रत्येक समग्र भुगतान में से 60 प्रतिशत
5	मद 1 से 4 के अन्तर्गत न आने वाले समस्त अन्य प्रकार के आमोद प्रदर्शन जिसमें स्वांग, कार्निवाल, कठपुतली, जाएन्ट व्हील, कैबरे या मन्च-प्रदर्शन, कौशल के खेल, वीडियो गेम, मनोरंजन पार्क, केबिल सेवा और डी०टी०एच० सेवा आदि भी आते हैं।	प्रत्येक समग्र भुगतान में से 25 प्रतिशत
6	अशास्त्रीय संगीत	प्रवेश हेतु समग्र भुगतान में से 25 प्रतिशत
7	जहाँ पूल गेम, बाउलिंग ऐले, बिलियर्डस या स्नूकर में एक बार प्रवेश के लिये या उनमें सहभागिता करने के लिए समग्र भुगतान 10 रुपये या उससे अधिक हो, वहाँ प्रत्येक समग्र भुगतान में से,-	
	(क) 10 रुपये से अधिक किन्तु अनाधिक 25 रुपये	ऐसे समग्र भुगतान में से 5 प्रतिशत
	(ख) 25 रुपये से अधिक किन्तु अनधिक 50 रुपये	ऐसे समग्र भुगतान में से 10 प्रतिशत
	(ग) 50 रुपये से अधिक किन्तु अनधिक 100 रुपये	ऐसे समग्र भुगतान में से 15 प्रतिशत
	(घ) 100 रुपये से अधिक किन्तु अनधिक 200 रुपये	ऐसे समग्र भुगतान में से 20 प्रतिशत
	(ङ) 200 रुपये से अधिक	ऐसे समग्र भुगतान में से 25 प्रतिशत
8	अन्तवर्ती सिनेमा- प्रारम्भ होने के दिनांक से 1 वर्ष की अवधि के लिए किसी स्थानीय क्षेत्र में जिसकी जनसंख्या-	
	(क) 10,000 तक हो ;	2,000 रुपये प्रति सप्ताह
	(ख) 10,000 से अधिक हो किन्तु 25,000 से अधिक न हो ;	3,500 रुपये प्रति सप्ताह
	(ग) 25,000 से अधिक हो।	5,000 रुपये प्रति सप्ताह

क्रम सं०	आमोद के वर्ग	आमोद कर की दरें
9	(क) किसी वीडियो सिनेमा में वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन–	
	(एक) किसी स्थाई भवन में, जो ऐसे स्थानीय क्षेत्र में स्थित हो जिसमें कोई स्थाई सिनेमा न हो।	3,000 रुपये प्रति सप्ताह
	(दो) किसी स्थाई भवन में, जो ऐसे किसी स्थानीय क्षेत्र की, जिसकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक हो और जिसमें किसी स्थाई भवन में सिनेमा हो, बाहरी सीमाओं से 500 मीटर की दूरी पर स्थित हो,	2,500 रुपये प्रति सप्ताह
	(तीन) किसी स्थाई भवन में, जो ऐसे किसी स्थानीय क्षेत्र की, जिसकी जनसंख्या 50,000 से अधिक किन्तु 5 लाख से अनधिक हो और जिसमें किसी स्थाई भवन में सिनेमा हो, बाहरी सीमाओं से 1000 मी० की दूरी पर स्थित हो।	2,000 रुपये प्रति सप्ताह
	(चार) किसी स्थाई भवन में, जो ऐसे किसी स्थानीय क्षेत्र की, जिसकी जनसंख्या 50,000 तक हो और जिसमें किसी स्थाई भवन में, सिनेमा हो, बाहरी सीमाओं से 1500 मीटर की दूरी पर स्थित हो।	1,500 रुपये प्रति सप्ताह
	(पांच) किसी अस्थाई भवन में जो किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र के भीतर किसी स्थाई भवन में स्थित सिनेमा से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हो जिसकी जनसंख्या–	
	(क) 50,000 तक हो	1,500 रुपये प्रति सप्ताह
	(ख) 50,000 से अधिक हो किन्तु 5 लाख से अनधिक हो	2,000 रुपये प्रति सप्ताह
	(ग) 5 लाख से अधिक हो	2,500 रुपये प्रति सप्ताह
	(छः) ऐसे किसी स्थानीय क्षेत्र में, जिसमें किसी स्थाई भवन में कोई सिनेमा न हो, स्थित किसी अस्थाई भवन में,–	
	(ख) किसी सार्वजनिक सेवायान में वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन	2,000 रुपये प्रति माह
	(ग) किसी स्थानीय क्षेत्र में स्थित ऐसे किसी होटल के कमरों में वीडियो द्वारा प्रदर्शन जिसकी जनसंख्या–	
	(क) 50,000 तक हो ;	30 रुपये प्रति कमरा प्रति सप्ताह
	(ख) 50,000 से अधिक हो किन्तु 2 लाख से अनधिक हो ;	40 रुपये प्रति कमरा प्रति सप्ताह
	(ग) 2 लाख से अधिक हो	50 रुपये प्रति कमरा प्रति सप्ताह

आज्ञा से,
देश दीपक वर्मा
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Government notification no. 1672/XI-Ka.Ni.-6-2009-M.(92)-2009 dated September 04, 2009 for general information :

No. 1672/XI-Ka.Ni.-6-2009-M.(92)-2009

Dated Lucknow, September 04, 2009

IN exercise of the powers under sub-section (1) of section 3, sub-section (1) o section 4, sub-section (1) of section 4-A and sub-section (1) of section 4-B of the Uttar Pradesh Entertainment and Betting Tax Act, 1979 (U.P. Act no. 28 of 1979) and in supersession of Government notifications issued in this behalf no. 30-EB-9(17)/LXXXI-VITTA (Manoranjan Kar) Anubhag, dated April 12, 1989, no. 1022/X-M.K.-89-XXX-EB-9(17)-81-VITTA (Manoranjan Kar) Anubhag, dated April 27, 1989, no. 2201/X-M.K.-90-XXX E.B.9(17)-81T.C. dated August 08, 1990, no. 3400/XI-M.K.-94XX.R.(6)-93 dated October 15, 1994, no. 2491/XI -Ka.Ni.-6-2000-XX-R(1)-2000 dated December 12, 2000 no. 2388/XI-Ka.Ni.-6-2002-XX.R(1)-2000 dated November 15, 2002 no. 710/XI-Ka.Ni.-6-2003-XXX-M(116)-2000 T.C. dated March 26, 2003 and no. 18/XI-KaNi.-6-2004-20-M(121)-2003, dated January 14, 2004 the Governor is pleased to order that, with immediate effect entertainment tax shall be levied and paid at the rates specified in the Schedule below, namely:–

SCHEDULE

Rates of Entertainment Tax

Serial No.	Classes of Entertainments	Rates of Entertainment Tax
1	Cinematograph exhibition in a cinema other than an interior cinema	Out of each aggregate payment:- (a) up to Rs. 10.00- 30 percent of such payment. (b) exceeding Rs. 10-00 but not exceeding Rs. 30-00 35 per cent of such payment. (c) exceeding Rs. 30-00- 40 per cent of such payment
2	Housie	60 percentage out of each aggregate payment for initial admission to the game and out of each aggregate payment for attending or continuing to attend the game (whether such payment is described as the price of cards or booklets or otherwise)
3	Joy-rides in aero plane	40 per cent out of each aggregate payment
4	Horse race	60 per cent out of each aggregate payment
5	All other class of entertainments not covered by items 1 to 4 (including mimicry, carnival, puppet show, giant wheel, cabaret or floor show, games of skill, video games amusement park, cable service and direct to home service etc.)	25 per cent out of each aggregate payment
6	Non classical music	25 per cent out of all aggregate payment for admission

Serial No.	Classes of Entertainments	Rates of Entertainment Tax
7	Where the aggregate payment for admission or to participate in the pool game bowling alley, Billiards or snooker at a time is Rs. 10 or more, out of each aggregate payment,–	
	(a) exceeding Rs. 10.00 but not exceeding Rs. 25.00;	5 per cent out of such aggregate payment.
	(b) exceeding Rs. 25.00 but not exceeding Rs. 50.00;	10 per cent out of such aggregate payment.
	(c) exceeding Rs. 50.00 but not exceeding Rs. 100.00;	15 per cent out of such aggregate payment.
	(d) exceeding Rs. 100.00 but not exceeding Rs. 200.00;	20 per cent out of such aggregate payment.
	(a) exceeding Rs. 200.00	25 per cent out of such aggregate payment.
8	Interior cinema–	
	For period of one year from the date of start, in a local area having a population–	
	(a) up to 10,000;	Rs. 2000.00 Per Week
	(b) exceeding 10,000 but not exceeding 25000;	Rs. 3500.00 Per Week
	(c) exceeding 25000.	Rs. 5000.00 Per Week
9	(A) Exhibitions by means of Video in a Video cinema–	
	(i) in a permanent building situated in a local area having no permanent cinema;	Rs. 3000.00 Per Week
	(ii) in a permanent building situated at 500 metres from the outer limits of a local area with population exceeding 5 lakh having a cinema in a permanent building.	Rs. 2500.00 Per Week
	(iii) in a permanent building situated at 1.000 metres from the outer limits of a local area with population exceeding 50,000 but not exceeding 5,00,000 and having a cinema in a permanent building.	Rs. 2000.00 Per Week
	(iv) in a permanent building situated at 1500 metres from the outer limits of a local area with population upto 50,000 and having a cinema in a permanent building.	Rs. 1500 Per Week
	(v) In a temporary building situated at a distance of 2 kms. from a cinema in a permanent building within a local area with population,–	
	(a) upto 50,000;	Rs. 1500.00 Per Week
	(b) exceeding 50,000 but not exceeding 5 lakh	Rs. 2000.00 Per Week
	(c) exceeding 5 lakh	Rs. 2500.00 Per Week

Serial No.	Classes of Entertainments	Rates of Entertainment Tax
	(vi) in a temporary building situated in a local area having no cinema in a permanent building	Rs. 1500.00 Per Week
	(B) Exhibition by means of Video in a public service vehicle	Rs. 2000.00 per month
	(C) Exhibition by means of Video in the rooms of a hotel situated in a local area with population,-	
	(a) up to 50,000	Rs. 30.00 per room per week
	(b) exceeding 50,000 but not exceeding 2 lakh	Rs. 40.00 per room per week
	(c) exceeding 2 lakh	Rs. 50.00 per room per week

By order,

DESH DEEPAK VERMA,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी० ए०पी० 567 राजपत्र (हि०)–2009–(1155)–597–(क०/आ०) ।
पी०एस०यू०पी० ए०पी० 50 सा० वित्त–2009–(1156)–1500–(क०/आ०) ।